

बैठक

व्यवस्था सुधारने और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने प्रशासन ने अपनाया सख्त रुख

यातायात नियम तोड़ने वालों के निरस्त होंगे ड्राइविंग लाइसेंस



नवभारत,जबलपुर। जबलपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने अब तक का सबसे सख्त रुख अपना लिया है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया है कि यातायात नियमों की बार-बार अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत ऐसे वाहन चालक जिनके नाम पर पांच से अधिक बार ई-चालान जारी हो चुके हैं और उन्होंने राशि का

भुगतान नहीं किया है, उनके ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्मार्ट सिटी और यातायात पुलिस द्वारा ऐसे उल्लंघनकर्ताओं की सूची तैयार की जा रही है ताकि उनके खिलाफ नियमानुसार कठोर कदम उठाए जा सकें। प्रशासन ने ई-चालान की वसूली की और अधिक प्रभावी बनाने के लिए परिवहन विभाग को एक विशेष प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत वाहनों के पंजीयन और बीमा का नवीनीकरण तभी संभव होगा जब वाहन मालिक अपने सभी लंबित ई-चालानों का भुगतान कर देंगे।

अवैध पार्किंग करने पर वाहन होगा जब्त

शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में जाम की

समस्या से निपटने के लिए मल्टीलेवल कार पार्किंग के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है। भंवरताल, सिविक सेंटर और मानस भवन स्थित मल्टीलेवल पार्किंग के 300 मीटर के दायरे को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। यदि कोई भी कार मालिक इस परिधि में सड़क किनारे अवैध पार्किंग करता पाया जाता है, तो यातायात पुलिस द्वारा वाहन को तत्काल जब्त कर लिया जाएगा। टायर लॉक सिस्टम शुरू किया जायेगा। जब्त किए गए वाहनों को टोईंग शुल्क और चालान राशि जमा करने के बाद ही छोड़ा जाएगा।

10 दिन में व्यवस्था लागू करने के निर्देश

कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ आगामी 10 दिनों के भीतर इन सभी व्यवस्थाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में नगर निगम कमिश्नर राम प्रकाश अहिरवार, स्मार्ट सिटी सीईओ अनुराग सिंह, एएसपी ट्रैफिक सुश्री अंजना तिवारी, डीएसपी ट्रैफिक संतोष शुक्ला, केन्ट बोर्ड की ओर से अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

जनसमस्याओं के निराकरण में देरी बर्दाश्त नहीं : निगमायुक्त

► समीक्षा बैठक में दिखे सख्त तैवर

नवभारत,जबलपुर। निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने सोमवार को नगर निगम के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और शहर के बुनियादी ढांचे से जुड़े विकास कार्यों की वर्तमान प्रगति की जानकारी लेना रहा। निगमायुक्त ने बैठक के दौरान शहर की स्वच्छता रैंकिंग में



शीर्ष पर लाने के लिए सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने और कचरा प्रबंधन की बारीकियों पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने बैठक में कहा कि जनसमस्याओं के निराकरण में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं निगमायुक्त ने लंबित प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिए।

पनागर थाना अंतर्गत अंतर्गत ग्राम पटारमर एवं बेलबाग स्थित भान्तलेया में दो युवकों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

स्वनिधि योजना का हर पात्र व्यक्ति को मिले लाभ

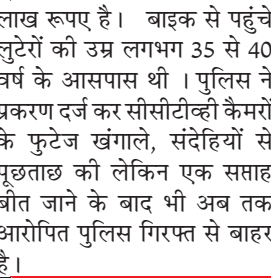
बैठक में निगमायुक्त ने पथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाली पीएम स्वनिधि योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए नियमित रूप से अभियान चलाने पर जोर दिया। निगमायुक्त ने बैठक के अंत में कहा कि शासन के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करना हमारी प्राथमिकता है। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनी रहे।

एक सप्ताह बीते, पांच तोला सोने का हार लूटने वाले नहीं मिले

► झपटमारी करने वालों को पकड़ने हवा में लट्ट छुमा रही पुलिस

नवभारत, जबलपुर। माहौलताल थाना अंतर्गत बजरंग नगर में सोमवार रात्रि महिला पर झपट्टामारकर पांच तोला सोने का हार लूटने को दृढ़ने में पुलिस हवा में लट्ट छुमा रही है एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस के पास ऐसा कोई सुराग नहीं है जिसके सहारे आरोपी तक पहुंचा जा सके। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि सीसीटीवी फुटेज से संदेही चिन्हत किए गए है जिसके आधार पर जांच पड़ताल चल रही है । साथ ही संदेहियों से

पूछताछ जारी है जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जायेगा। विदित हो कि अनिल सोनी निवासी यादव कॉलोनी विवेकानंद वार्ड शादी समारोह में शामिल होने बस बुक करके पत्नी मीना सोनी 53 वर्षीय, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ सात फरवरी को भोपाल गए थे। विवाह समारोह में शामिल होने के बाद विदित हो कि 9 फरवरी को सोमवार को सभी वापिस लौटे थे। बजरंग नगर में जैसे ही बस से उतरे और अपना सामान निकाल रहे थे तभी रात्रि करीब आठ बजे बाइक से दो युवक पहुंचे और पत्नी पर झपट्टा मार सोने का हार लूट लिया और फरार हो गए थे हार पांच तोला का है जिसकी कीमत सात से आठ



दो युवकों ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

पनागर थाना अंतर्गत अंतर्गत ग्राम पटारमर एवं बेलबाग स्थित भान्तलेया में दो युवकों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

5 रुपये में मिलेगा कृषि बिजली कनेक्शन, किसानों को बड़ी राहत

► पहले ऑनलाइन आवेदन के लिए जमा कराए जाते थे 2500 रुपये

नवभारत,जबलपुर। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए पाँच हॉन पाँवर तक के ऑनलाइन स्थाई कृषि विद्युत कनेक्शन के आवेदन शुल्क को 2,500 रुपये से घटाकर मात्र 5 रुपये कर दिया है। कंपनी द्वारा जारी सकेलर के अनुसार यह सुविधा उन मामलों में लागू होगी, जहाँ विद्युत लाइन विस्तार की आवश्यकता नहीं होगी। अधीक्षण

अभियंता (ग्रामीण) ने बताया कि पहले किसानों से ऑनलाइन आवेदन के लिए 2,500 रुपये पंजीयन शुल्क एवं सुरक्षा निधि के रूप में जमा कराए जाते थे। अब नए निर्णय के तहत उपभोक्ता द्वारा स्थापित सर्विस लाइन की सुरक्षा नियमों के अनुरूप जांच के बाद मात्र 5 रुपये में आवेदन स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शेष सुरक्षा निधि की राशि प्रथम विद्युत बिल में समायोजित कर ली जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्थाई कृषि पंप संयोजन की प्रक्रिया नियमानुसार शीघ्र पूर्ण की जाए, ताकि किसानों को समय पर लाभ मिल सके।

विकासखंडों में 19 से लगंगे रोजगार मेले

नवभारत,जबलपुर। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला पंचायत जबलपुर द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले के सभी विकासखंडों में 'रोजगार मेलों' का आयोजन किया जा रहा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक गहलोत ने बताया कि इन मेलों के माध्यम से विभिन्न निजी कंपनियों द्वारा सिक्योरिटी गार्ड, सेल्स ऑफिसर, बीमा एजेंट और मशीन ऑपरेटर के पदों पर चयन किया जाएगा। जिला कार्यक्रम के अनुसार, रोजगार मेलों का शुभारंभ 19 फरवरी को जनपद पंचायत मझौली से होगा। इसके पश्चात

20 फरवरी को जनपद पंचायत कुंडेश्वर धाम, 23 फरवरी को शासकीय कॉलेज बरगी, 24 फरवरी को जनपद पंचायत पनागर, 25 फरवरी को जनपद पंचायत पाटन, 26 फरवरी को जनपद पंचायत सिहोरा और 27 फरवरी को जनपद पंचायत शाहपुरा में मेलों का आयोजन किया जाएगा।

सीईओ जिला पंचायत ने कहा कि इन रोजगार मेलों में सम्मिलित होने के लिए आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 5वीं उत्तीर्ण अथवा उससे अधिक पढ़े हुए इच्छुक युवक-युवतियां निर्धारित विधियों और स्थानों पर अपने समस्त मूल दस्तावेजों एवं छायांकित के साथ अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

टंकियों की सफाई कर तारीख अंकित करें : कलेक्टर

► लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

नवभारत,जबलपुर। कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आज लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के लिए चिन्हित विषयों में प्रगति पर विस्तार से चर्चा कर विभिन्न विभागों को प्राप्त आवेदनों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि



आंगनवाड़ी, छात्रावास, अस्पताल और शासकीय कार्यालयों में स्थित पानी की टंकियों को सफाई

के लिए मंदिरों के संबंध में भी आवश्यक जानकारी ली और मंदिर के भूमि के उपयोग के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना, प्रधानमंत्री मानधन योजना, स्वरोजगार योजनाएं, एकल नल-जल योजनाओं के क्रियान्वयन, सड़क पुनर्निर्माण की गुणवत्ता, ग्रामीण विकास एवं जनजातीय कार्य, सभी पात्र व्यक्तियों की केसीसी, स्कूली बच्चों की समग्र आईडी बनाने, नवीन शैक्षणिक सत्र में नामांकन में वृद्धि एवं डॉफ़आउट

बच्चों में कमी लाने की कार्ययोजना के संबंध में विस्तार से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिये। इसके साथ ही कलेक्टर ने एट्रोसिटी एक्ट अंतर्गत राहत

वितरण तथा सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदनों का निराकरण समय सीमा में करना सुनिश्चित कर अपेक्षित प्रगति लाएं।

► गरीबी रेखा वाले लोगों को कुत्रिम दांत लगवाएं

बैठक में कलेक्टर ने सीएमएचओ से कहा कि जो लोग गरीबी रेखा की श्रेणी में आते हैं और जिन्हें कुत्रिम दांत की आवश्यकता है, उनके डेटा एकत्रित कर कुत्रिम दांत लगवाना सुनिश्चित करें। किसानों को पांच रुपये में मिलने वाले विलुप्त कनेक्शन के संबंध में भी चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। बैठक में सीईओ जिला पंचायत अभिषेक गहलोत, अपर कलेक्टर नाथूराम गोंड सहित सभी जिला अधिकारी मौजूद थे।

विमर्श

विशेषज्ञों ने शहर हित में दिए कई सुझाव

महापौर सलाहकार समिति की बैठक में विकास के मुद्दों पर मंथन



नवभारत,जबलपुर। शहर के सर्वांगीण विकास और आगामी बजट को जन-उपयोगी बनाने के उद्देश्य से आयोजित महापौर सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। इस उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षा, तकनीक, अर्थशास्त्र, वित्त, अद्योसंरचना एवं विकास

सडकों और फुटपार्थों के मैकेनिकल दुकानों के खिलाफ याचिका दायर

जबलपुर। शहर की कई प्रमुख सडकों और फुटपार्थों पर अवैधानिक रूप से मैकेनिकों की दुकानें संचालित हैं। इसी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे व रजत भार्गव ने याचिका दायर कर बताया कि मैकेनिकों की दुकानों की वजह से ट्रैफिक प्रभावित होता है। याचिका में कहा गया कि इसके पूर्व भी हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर शहर में कई मैकेनिक जोन बनाए गए थे। इसके बावजूद अधिकतर मैकेनिकों को वहां शिफ्ट नहीं किया गया। याचिका में कहा गया कि पुराने बस स्टेण्ड से एमएलबी जाने वाली सडक व फुटपाथ पर मैकेनिकों और सुधार के लिए आने वाले वाहनों का कब्जा बना रहता है। राहगीरों का यहां चलना दूधर हो रहा है। इसी तरह इनकम टैक्स चौराहे से लेकर रसल चौक के बीच भी कई मैकेनिकों की दुकानें संचालित हैं। इससे दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। सबसे ज्यादा दिक्कत पैदल चलने वालों को होती है।

अपराधों पर लगाम कसने थानों में साइबर हेल्प डेस्क शुरू

एसपी सम्पत उपाध्याय ने रांझी थाने से किया शुभारंभ

नवभारत, जबलपुर। जिले में बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम कसने और गोठन आवर (अपराध के तुरंत बाद का समय) में पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए जबलपुर पुलिस ने एक बड़ी पहल की है। 116 फरवरी 2026 को जिले के सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क का विधिवत संचालन शुरू कर दिया गया है। एसपी सम्पत उपाध्याय ने स्वयं थाना रांझी पहुंचकर इस हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया। रांझी में

प्रमुख ट्रेनों का बढ़ेगा स्टॉपेज टाइम, यात्रियों को मिलेगी राहत



जबलपुर, नवभारत। जबलपुर रेल मंडल अब जल्द ही यात्रियों की एक बड़ी समस्या का समाधान करने जा रहा है। मदन महल रेलवे

स्टेशन पर यात्रियों के बढ़ते दबाव और बुजुर्गों की परेशानियों को देखते हुए रेल प्रशासन यहां कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों के स्टॉपेज समय में

बढ़ोतरी करने का निर्णय ले सकता है। वर्तमान में श्रीधाम एक्सप्रेस, अधारताल-कमलापति इंटरसिटी, मेम और ओवरनाइट एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का ठहराव केवल 2 मिनट का है, जिसे बढ़ाकर 5 मिनट किए जाने की योजना है। मदन महल स्टेशन का आधुनिक विकास होने के बाद से यहां यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। शहर के एक बड़े हिस्से के यात्री मुख्य स्टेशन जाने के बजाय मदन महल से ही अपनी यात्रा शुरू करना या समाप्त करना पसंद करते हैं। वर्तमान में कम स्टॉपेज समय होने के कारण यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में भारी मशक्कत करनी पड़ती है।

कम स्टॉपेज बनी बड़ी वजह

रेल मंडल के पास यात्रियों की लगातार शिकायतें और सुझाव पहुंच रहे हैं, जिनमें कम स्टॉपेज समय को मुख्य समस्या बताया गया है। विशेष रूप से बुजुर्ग यात्रियों के लिए 2 मिनट का समय बहुत कम साबित हो रहा है। कोच में पहले से मौजूद भीड़ के कारण उन्हें भारी सामान के साथ निर्धारित कोच तक पहुंचने और अंदर जाने में काफी समय लगता है। कई बार इस जल्दबाजी में ट्रेन छूटने और दुर्घटना होने का खतरा भी बना रहता है। यात्रियों का कहना है कि जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है, तो भीड़ के कारण धक्का-मुक्की की स्थिति बन जाती है, जो परिवार के साथ सफर करने वालों के लिए बड़ी चुनौती है।

मुख्य स्टेशन से कम होगा भार

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, मदन महल स्टेशन पर ट्रेनों का लोड और यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है। स्टॉपेज समय को 5 मिनट करने से न केवल यात्रियों को सुरक्षित रूप से ट्रेन में चढ़ने-उतरने का समय मिलेगा, बल्कि स्टेशन पर होने वाली भगदड़ जैसी स्थिति में भी कमी आएगी। मंडल स्तर पर इस प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि जल्द ही इसे आधिकारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा। इससे श्रीधाम और इंटरसिटी जैसे महत्वपूर्ण रूटों पर सफर करने वाले हजारों दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।



शुभारंभ के साथ ही जिले के अन्य सभी थानों में भी ये डेस्क क्रियाशील हो गई हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) जितेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इस अवसर पर बरगी नगर पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक साइबर सेल अजुल अयंक मिश्रा और थाना प्रभारी रांझी उमेश गोहानी

मुख्य रूप से उपस्थित रहे। तकनीकी मदद के साथ ऐसे होगा एक्शन- प्रत्येक थाने में तैनात प्रशिक्षित कर्मचारी साइबर फ्रॉड, सोशल मीडिया संबंधी अपराध और मोबाइल गुमने जैसी शिकायतों पर तत्काल एक्शन लेते हेल्प डेस्क के माध्यम से एनसीआर पोर्टल और

वेंडर ने चाकू से किया यात्री पर हमला

► पुणे सुपील एक्सप्रेस में भिटीनी स्टेशन के पास हुई घटना

जबलपुर, नवभारत। जबलपुर रेल मंडल के भिटीनी स्टेशन के समीप पुणे-सुपील एक्सप्रेस के जनरल कोच में एक वेंडर ने मामूली विवाद के बाद एक यात्री पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। घटना में यात्री घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है प्रास जानकारी के अनुसार, हाजीपुर निवासी 29 वर्षीय राहुल सिंह राजपूत गंडी संख्या 11041 पुणे-सुपील एक्सप्रेस से अपने घर जा रहा था। ट्रेन जब भिटीनी स्टेशन के पास पहुंची, तभी राहुल का ट्रेन के एक वेंडर से किसी बात को लेकर विवाद



हो गया। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि आक्रोशित वेंडर ने पास

रखा चाकू निकालकर राहुल के परे पर वार कर दिया।

► जीआरपी ने कसया उपचार

अचानक हुए इस हमले से डिब्बे में बैठे अन्य यात्री सहम गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। कोच में काफी देर तक अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बना रहा। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी की टीम मौके पर सक्रिय हुई। ट्रेन के जबलपुर स्टेशन पहुंचते ही जीआरपी ने घायल यात्री को तत्काल उपचार के लिए विकटोरिया अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने आरोपी वेंडर की पहचान कर उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

निकाह के बाद से नवविवाहिता को दहेज प्रताड़ना

नवभारत,जबलपुर। खितौली थाना क्षेत्र के अली मरार में रहने वाली एक नवविवाहिता को निकाह के बाद से दहेज लोभी प्रताड़ित करने लगे। बाइक की डिमांड पूरी न होने पर उसे घर से निकाल दिया। जिसके बाद अब पीड़िता ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज के लिए मारपीट और प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता श्रीमती रेशमा बी (27) ने बताया कि उसका निकाह मई 2025 में जागति नगर, अमखर गौहालपुर निवासी शहजाद खान के साथ हुआ था। शादी के समय मायके पक्ष ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार गृहस्थी का सामान दिया था। आरोप है कि निकाह के कुछ समय बाद ही पति शहजाद खान मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उनके साथ मारपीट करने लगा। रेशमा बी के अनुसार,



उन्के पति के अलावा सास सकीना बी, ससुर आजाद खान और देवर साजिद खान भी 2 लाख नकद और मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। तमाम पूरी न होने पर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। उनके मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ससुराल पक्ष ने विवाद करते हुए मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया। तब से पीड़िता अपने मायके में ही रह रही है। पीड़िता की लिखित शिकायत पर खितौली पुलिस ने आरोपी पति, सास, ससुर और देवर के खिलाफ दहेज प्रतिबंध अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।